

File No.14039/14/2013-UTS-I  
Government of India  
Ministry of Home Affairs  
UTS-I

North Block, New Delhi-110001  
Dated the 7<sup>th</sup> August, 2013

ORDER

Shri Adesh Kumar has preferred 1<sup>st</sup> appeal dated 16.07.2013

2. The RTI application dated 08.05.2013 of Shri Adesh Kumar was received in UTS-I Desk, MHA from RTI Cell, MHA through APIO, Establishment PHQ for providing reply on point no 2. Director(s) & CPIO vide this Ministry's letter dated 01<sup>st</sup> July, 2013 furnished the relevant reply to the applicant as available in UTS-I Desk, MHA.

3. The appeal filed by Sh. Adesh Kumar has been carefully considered and it is found that the aforesaid reply/decision of the CPIO with reference to his application dated 08.05.2013 is in conformity with the Right to Information Act, 2005


4. The appeal is accordingly disposed of.



(K.K.Pathak)  
Joint Secretary (UT) &  
Appellate Authority

To

Shri Adesh Kumar,  
East Distt. Police Line,  
Mandawali, Fazalpur,  
Delhi-110092



O/C

16/07/2015

सेवा में

श्री के. के. पाठक  
संयुक्त सचिव (फू. टी.)  
गृह मंत्रालय, नोर्थ ब्लॉक  
नई दिल्ली - 110001

(5)

गृह मंत्रालय  
Ministry of Home Affairs  
नई दिल्ली / New Delhi-1  
16 JUL 2015  
डेस्क नं. 135280  
कॉड नं. ....  
सी.एस. नं. ....

विषय :- RTI Act 2005 के तहत मांगी गई जानकारी पत्र सं. 14039/14  
2013-UTS-2 में आवी अधूरी दी गई है पूर्ण जानकारी देने  
हेतु RTI Act 2005 की धारा-19(4) में अपील-पत्र।

- 1 -
- 2 - मांगी गई जानकारी पत्र सं. F.No. 14039/14/2013-UTS-1 गृह  
मंत्रालय UTS-1 DESK, नोर्थ ब्लॉक द्वारा दी गई जानकारी आवी  
अधूरी व अपूर्ण है पूर्ण जानकारी देने की कृपा करें।
- 3 -
- 4 -
- 5 -

नोट: उपरोक्त पत्र व RTI Act 2005 का अपील-पत्र क्रि. 8/नं. 0  
की प्रति संलग्न है अवलोकन करने पूर्ण जानकारी देने की  
कृपा करें। आपकी प्रति कृपा होगी। 1+1+1 = 3 PP  
उपरोक्त जानकारी केवल हिन्दी भाषा में ही दी जाये।  
दिनांक 16/7/15

अपीलकर्ता :-

आदर कुमार, M.A, LL.B  
पूर्व जिला पुलिस आयुक्त  
मडौली बाजलपुर दि-92

शा. 7

50 UTS-2  
51 5001  
18/07/15

सहायक जन सूचना अधिकारी  
पूर्वी जिला पुलिस कार्यालय  
मडंगली पाजलपुर दि-१३

विषय:- RTI Act-2005 के अन्तर्गत प्रश्न-पत्र।

- प्र-1 → शाना आनन्द विहार के अन्तर्गत कुल कितने बार व रेस्टोरेंट तथा अन्य इस प्रकार के कितने व्यवसाय की कितनी दुकानें आई हैं इनकी कुल संख्या बतायी जाये तथा कितनों के पार्किंग आई हैं कुल व्यय की अनुमति पत्र दिये गये हैं और उन पर SHC शाहवा शी गजिन्द्र सिंह जी के कार्यभार गृहण करने के बाद उन पर किस पर पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई है इनकी पूर्ण सूचना उपलब्ध करायी जाये।
- प्र-2 → वर्ष-2012 में कुल कितने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी NIGMA केंद्र में चामानित हुए हैं इनकी संख्या जाल व इसमें चयन होने से पूर्व कहां-कहां पर कार्यरत थे इनकी सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध करायी जाये।
- प्र-3 → यदि आवेदनकर्ता को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 का प्रयोग व शिक्षा का कर्मचारी होने के कारण करता है और उस पर PHR RTI Act वाले कर्मचारियों का दबाव चलाने के लिए पौन आदि करते हैं और कहते हैं कि तुम हमें परेशान कर रहा है इसलिए हम तेरा नबादना ACP व DCP (HR) को बोल कर शीघ्रता पुलिस इनिंग स्टेशन में करता दोगे। इस प्रकार की यदि दमनी दी जाती है तो आवेदनकर्ता इन सभी कर्मचारियों की शिकायत जिसके पास करेगा वह बताया जाये। क्या आवेदनकर्ता इनकी शिकायत को राष्ट्रीय सूचना आयोग को भी कर सकता है इसकी पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी जाये।
- प्र-4 → छठे वेतन आयोग के द्वारा जारी सरकारी दिसमें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो अब (MYS) गतरी गैसकेन्द्र स्तर में जसल दिया गया है इनकी वेतनी इनके निवास स्थान को कि सेवा प्रतिष्ठा में दर्ज है कि ही अनुसार नजदीकी स्थान पर की जायेगी इसकी सम्पूर्ण सूचना से आदेश सहित सूचना उपलब्ध करायी जाये।
- प्र-5 → सम्पूर्ण दिल्ली पुलिस में कुल कितने इलायत सम्पन्न पुलिस व इलायत पुलिस प्रयाग, दिल्ली स्तर सम्पन्न पुलिस वर्ष 2013 व 2014 में इनकी सेवाकाय प्रतिष्ठा के अनुसार वह सेवा निवृत्त होंगे इनकी कुल संख्या हर माह के अनुसार उपलब्ध करायी जाये।

नोट: उपरोक्त उत्तर कोलकाता हिन्दी भाषा में ही उपलब्ध कराये जाये।

आदेश क्रमांक 11.11.18  
पूर्वी जिला पुलिस कार्यालय  
मडंगली पाजलपुर दि-१३